भारत का राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक, 2010

खंडों का क्रम

अध्याय 1

प्रारंभिक

खंड

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

आधार संख्यांक

3. आधार संख्यांक ।
4. आधार संख्यांक के तत्त्व ।
5. आधार संख्या का अधिप्रमाणन ।
6. आधार संख्या का नागरिकता या अधिवास आदि का साक्ष्य न होना ।
7. केन्द्रीय पहचान आंकड़ा संग्रह ।
8. कतिपय सूचना का अद्यतन ।
9. कतिपय जानकारी की अपेक्षा पर प्रतिषेध ।
10. कतिपय प्रवर्ग के व्यक्तियों को आधार संख्यांक जारी करने के लिए विशेष उपाय ।

अध्याय 3

भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण

11. प्राधिकरण की स्थापना ।
12. प्राधिकरण की संरचना ।
13. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं ।
14. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें ।
15. अध्यक्ष और सदस्यों का हटाया जाना ।
16. पद की समाप्ति के पश्चात् नियोजन पर अध्यक्ष या सदस्यों पर निर्बंधन ।
17. अध्यक्ष के कृत्य ।
18. अधिवेशन ।
19. रिक्तियों, आदि से प्राधिकरण की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।
20. प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ।
21. प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कृत्य ।
22. प्राधिकरण की आस्तियों, दायित्वों का अंतरण ।
23. प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य ।

अध्याय 4

अनुदान, निधि, लेखा और संपरीक्षा तथा वार्षिक रिपोर्ट

24. केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।
25. राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण निधि ।
26. लेखा और लेखा परीक्षा ।
27. विवरणी और वार्षिक रिपोर्ट आदि ।

अध्याय 5

पहचान पुनर्विलोकन समिति

28. पुनर्विलोकन समिति ।
29. पुनर्विलोकन समिति के कृत्य ।

अध्याय 6

सूचना का संरक्षण

30. सूचना का संरक्षण और गोपनीयता ।
31. जन सांख्यिकी सूचना या बायोमेट्रिक सूचना में फेरबदल ।
32. सूचना रखना और अधिप्रमाणन के लिए अनुरोध अभिलेख के प्रति पहुंच ।
33. कतिपय मामलों में सूचना का प्रकटन ।

अध्याय 7

अपराध और शास्तियां

34. नामांकन के समय प्रतिरूपण के लिए शास्ति ।
35. जनसांख्यिकी सूचना या बायोमेट्रिक सूचना को परिवर्तित करके आधार संख्यांक धारक के प्रतिरूपण के लिए शास्ति ।
36. प्रतिरूपण के लिए शास्ति ।
37. पहचान सूचना के प्रकटन के लिए शास्ति ।
38. केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार तक अप्राधिकृत पहुंच के लिए शास्ति ।
39. केन्द्रीय पहचान आंकड़ा निक्षेपागार में आंकड़ा के साथ छेड़छाड़ करने के लिए शास्ति ।
40. बायोमेट्रिक सूचना के छलसाधन के लिए शास्ति ।
41. साधारण शास्ति ।
42. कंपनियों द्वारा अपराध ।
43. भारत से बाहर कारित किए गए अपराध या उल्लंघन के लिए अधिनियम का लागू होना ।
44. अपराधों का अन्वेषण करने की शक्ति ।
45. शास्तियां अन्य दंडादेश में हस्तक्षेप नहीं करेगी ।
46. अपराधों का संज्ञान ।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

47. केन्द्रीय सरकार की प्राधिकरण अतिष्ठित करने की शक्ति ।
48. सदस्यों, अधिकारियों आदि का लोक सेवक होना ।
49. केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति ।
50. प्रत्यायोजन ।
51. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
52. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।
53. प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति ।
54. नियमों और विनियमों का संसद के समक्ष रखा जाना ।
55. अन्य विधियों का लागू होना वर्जित नहीं है ।
56. कठिनाइयों को दूर करनेकी शक्ति ।
57. व्यावृत्तियां ।

राज्य सभा में पुर:स्थापित रूप में

2010 का विधेयक संख्यांक 75

[दि नेशनल आइडेन्टिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल, 2010 का हिन्दी अनुवाद]

भारत का राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक, 2010

भारत में निवास कर रहे व्यष्टियों और कतिपय अन्य वर्गों के व्यष्टियों को पहचान संख्यांक जारी करने के प्रयोजन के लिए तथा ऐसे व्यष्टियों की ऐसे फायदों और सेवाओं तक पहुंच को सुकर बनाने के लिए जिनके लिए ऐसे व्यष्टि हकदार हैं, अधिप्रमाणन की रीति के लिए भारत का राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण की स्थापना करने तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारत का राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण अधिनियम, 2010 है।

(2) इसका विस्तार, जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है और इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय यह किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए किसी अपराध या उसके अधीन उल्लंघन को भी लागू होता है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''आधार संख्यांक'' से धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन किसी व्यष्टि को जारी किया गया पहचान संख्यांक अभिप्रेत है;

(ख) ''आधार संख्यांक धारक'' से ऐसा कोई व्यष्टि अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के अधीन कोई आधार संख्यांक जारी किया गया है;

(ग) ''अधिप्रमाणन'' से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसमें अन्य विशेषताओं सहित आधार संख्यांक (जिसके अंतर्गत बायो मीट्रिक्स भी हैं) उसके सत्यापन के लिए केंद्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार को प्रस्तुत किया जाता है तथा ऐसा निक्षेपागार उसके पास उपलब्ध सूचना या आंकड़े या दस्तावेजों के आधार पर उसकी शुद्धता को सत्यापित करता है;

(घ) ''प्राधिकरण'' से धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारत का राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ङ) ''बायो मीट्रिक सूचना'' से किसी व्यष्टि की जैव विशेषताओं का एक सेट अभिप्रेत है, जो विनियमों द्वारा विहित किया जाए;

(च) ''केंद्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार'' से एक या अधिक अवस्थानों के केंद्रीयकृत आंकड़ा आधार अभिप्रेत हैं, जिसमें ऐसे व्यष्टियों की तत्समान जनसांख्यिकी सूचना और बायो मीट्रिक सूचना तथा उससे संबंधित अन्य सूचना सहित आधार संख्यांक धारकों को जारी किए गए सभी आधार संख्यांक अंतर्विष्ट हैं;

(छ) ''अध्यक्ष'' से धारा 12 के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ज) ''जन सांख्यिकी सूचना'' में किसी व्यष्टि के (मूल वंश, धर्म, जाति, जनजाति, नस्ल, भाषा, आय या स्वास्थ्य से भिन्न) नाम, आयु और पते से संबंधित ऐसी सूचना और ऐसी अन्य सूचना सम्मिलित है, जो किसी आधार संख्यांक को जारी करने के प्रयोजन के लिए विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाए;

(झ) ''नामांकन अभिकरण'' से इस अधिनियम के अधीन सूचना संगृहीत करने के लिए, यथास्थिति, प्राधिकरण या रजिस्ट्रारों द्वारा नियुक्त कोई अभिकरण अभिप्रेत है;

(ञ) ''नामांकन'' से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यष्टियों को आधार संख्यांक जारी करने के प्रयोजन के लिए नामांकन अभिकरणों द्वारा व्यष्टियों से जन सांख्यिकी सूचना और बायो मीट्रिक सूचना संगृहीत करने के लिए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए;

(ट) किसी व्यष्टि के संबंध में ''पहचान संख्यांक'' से ऐसे व्यष्टियों की बायो मीट्रिक सूचना, जन सांख्यिकी सूचना और आधार संख्यांक अभिप्रेत हैं;

(ठ) ''सदस्य'' में धारा 12 के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष और कोई अंशकालिक सदस्य सम्मिलित हैं;

(ड) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और उसके सजातीय अर्थों और व्याकरणिक रूपभेदों सहित ''अधिसूचित'' पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ढ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ण) ''रजिस्ट्रार'' से इस अधिनियम के अधीन व्यष्टियों के नामांकन के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यताप्राप्त कोई इकाई अभिप्रेत है;

(त) ''विनियम'' से इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

(थ) ''निवासी'' से कोई ऐसा व्यष्टि अभिप्रेत है, जो भारत में किसी ग्राम या ग्रामीण क्षेत्र या नगर या किसी नगर या शहरी क्षेत्र में किसी वार्ड के भीतर सीमांकित क्षेत्र (नागरिक रजिस्ट्रीकरण महारजिस्ट्रार द्वारा सीमांकित) में प्रायिक रूप से निवास करता है;

(द) ''पुनर्विलोकन समिति'' से धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन गठित पहचान पुनर्विलोकन समिति अभिप्रेत है।

अध्याय 2

आधार संख्यांक

आधार संख्यांक।

3. (1) प्रत्येक निवासी प्राधिकरण को ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, जन सांख्यिकी सूचना और बायो मीट्रिक सूचना उपलब्ध कराए जाने पर एक आधार संख्यांक अभिप्राप्त करने का हकदार होगा:

परंतु केंद्रीय सरकार, समय-समय पर व्यष्टियों के ऐसे अन्य प्रवर्ग को, जो आधार संख्यांक अभिप्राप्त करने का हकदार हो सकेगा, अधिसूचित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन जन सांख्यिकी सूचना और बायो मीट्रिक सूचना प्राप्त होने पर प्राधिकरण सूचना को ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सत्यापित करने के पश्चात् ऐसे निवासी को एक आधार संख्यांक जारी करेगा।

आधार संख्यांक के तत्त्व।

4. (1) किसी व्यष्टि को जारी की गई किसी आधार संख्यांक को किसी अन्य व्यष्टि को पुनः समनुदेशित नहीं किया जाएगा।

(2) कोई आधार संख्यांक अनिश्चित संख्या होगी और आधार संख्यांक से संबंधित उस पर कोई अभिव्यक्ति या पहचान आंकड़ा या उसका भाग नहीं होगा।

(3) कोई आधार संख्यांक अधिप्रमाणन के अध्यधीन आधार संख्यांक धारक की पहचान के सबूत के रूप में स्वीकार की जाएगी।

आधार संख्या का अधिप्रमाणन।

5. (1) प्राधिकरण आधार संख्यांक धारक की आधार संख्यांक का अधिप्रमाणन, उसकी बायो मीट्रिक सूचना और जन सांख्यिकी सूचना के संबंध में ऐसी शर्तों के अध्यधीन और ऐसी फीस के संदाय पर तथा ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, कराएगा।

(2) प्राधिकरण, किसी अधिप्रमाणन पूछताछ का उत्तर, सकारात्मक या नकारात्मक उत्तर में या किसी अन्य समुचित उत्तर में जिसके अंतर्गत कोई जन सांख्यिकी सूचना और बायो मीट्रिक सूचना नहीं है, देगा।

आधार संख्या का नागरिकता या अधिवास आदि का साक्ष्य न होना।

6. आधार संख्या या उसका अधिप्रमाणन स्वतः ही किसी आधार संख्या धारक की बाबत नागरिकता या अधिवास का कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा या सबूत नहीं होगा।

केन्द्रीय पहचान आंकड़ा संग्रह।

7. प्राधिकरण केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार स्थापित करने और बनाए रखने के लिए और कोई अन्य कृत्य करने के लिए, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, एक या अधिक अस्तित्वों को लगा सकेगा।

कतिपय सूचना का अद्यतन।

8. प्राधिकरण, समय-समय पर ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आधार संख्या धारकों से अपनी सांख्यिकीय सूचना और बायो मीट्रिक सूचना अद्यतन करने की अपेक्षा कर सकेगा जिससे कि केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार में उनकी सूचना की सतत यथार्थता सुनिश्चित की जा सके।

कतिपय जानकारी की अपेक्षा पर प्रतिषेध।

9. प्राधिकरण किसी व्यष्टि से उसके मूलवंश, धर्म, जाति, जनजाति, नस्ल, भाषा, आय या स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देने की अपेक्षा नहीं करेगा।

कतिपय प्रवर्गों के व्यक्तियों को आधार संख्यांक जारी करने के लिए विशेष उपाय।

10. प्राधिकरण, स्त्री, बालक, वरिष्ठ नागरिक, नि:शक्त व्यक्ति, प्रवासी, अकुशल और असंगठित कर्मकार, भ्रमणशील जनजाति या ऐसे अन्य व्यक्तियों को जिनके पास रहने के लिए कोई स्थायी मकान नहीं है और ऐसे अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों को, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, आधार संख्यांक जारी करने के लिए विशेष उपाय करेगा।

अध्याय 3

भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण

प्राधिकरण की स्थापना।

11. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और इस अधिनियम के अधीन उसे समनुदेशित कृत्यों को करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण के नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी।

(2) प्राधिकरण, पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जंगम और स्थावर, दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।

(3) प्राधिकरण का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 2 के खंड (च) में निर्दिष्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होगा। 1985 का 2

(4) प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से भारत के अन्य स्थानों में अपने कार्यालयों की स्थापना कर सकेगा।

प्राधिकरण की संरचना।

12. प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अध्यक्ष और दो अंशकालिक सदस्यों से मिलकर बनेगा।

प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं।

13. प्राधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य, तकनीकी, शासन, विधि, विकास, अर्थशास्त्र, वित्त, प्रबंध, सार्वजनिक कार्य या प्रशासन से संबंधित विषयों में अनुभव और ज्ञान रखने वाले योग्य, प्रतिष्ठित और उत्कृष्ट व्यक्ति होंगे।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें।

14. (1) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अध्यक्ष और सदस्य, उस तारीख से, जिसको वे पद ग्रहण करते हैं, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे:

परंतु कोई व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु अभिप्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्ष या सदस्य का पद धारण नहीं करेगा:

परंतु यह और कि अधिसूचना सं॰ 43011/02/2009-प्रशा॰ 1(जिल्द 2) तारीख 2 जुलाई, 2009 द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व नियुक्त भारतीय अद्वितीय पहचान प्राधिकरण का अध्यक्ष ऐसी अवधि, जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई थी इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में बना रहेगा।

(2) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपना पद ग्रहण करने के पूर्व ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसे प्राधिकारी के समक्ष, जो विहित किया जाए, पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और दिलाएगा।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष या सदस्य,—

(क) लिखित रूप में तीस दिन से अन्यून की सूचना केन्द्रीय सरकार को देकर अपना पद त्याग सकेगा; या

(ख) धारा 15 के उपबंधों के अनुसार अपने पद से हटाया जा सकेगा।

(4) अध्यक्ष प्राधिकरण में इस प्रकार अपना पद धारण करने की अवधि के दौरान कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा।

(5) अध्यक्ष को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें और अंशकालिक सदस्यों को संदेय भत्ते या पारिश्रमिक वे होंगे, जो विहित किए जाएं:

परंतु अध्यक्ष के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिये अलाभकर परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष और सदस्यों का हटाया जाना।

15. केन्द्रीय सरकार, ऐसे अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी, यदि वह,—

(क) दिवालिया है या किसी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है;

(ख) शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है;

(ग) ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है;

(घ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) केन्द्रीय सरकार की राय में उसने अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित में हानिकारक हो गया है।

(2) अध्यक्ष या किसी सदस्य को उपधारा (1) के खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

पद की समाप्ति के पश्चात् नियोजन पर अध्यक्ष या सदस्यों पर निर्बंधन।

16. केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उस पद की समाप्ति पर, अध्यक्ष या कोई सदस्य,—

(क) उस तारीख से, जिसको वह अपने पद पर नहीं रहते हैं, तीन वर्ष की अवधि तक ऐसे किसी व्यक्ति, जो अधिनियम के अधीन किसी कार्य से सहयुक्त रहा है, के प्रबंधन या प्रशासन में या उससे संबद्ध कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगा:

परंतु इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या किसी कानूनी प्राधिकरण या किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा इसके अधीन स्थापित किसी निगम या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनी को लागू नहीं होगी;

1956 का 1

(ख) किसी विनिर्दिष्ट कार्यवाही या संव्यवहार या बातचीत या ऐसे मामले के संबंध में, जिसका प्राधिकरण कोई पक्षकार है और जिसकी बाबत अध्यक्ष या ऐसे सदस्य ने पद की समाप्ति के पूर्व प्राधिकरण के लिए कार्य किया था, या उसको सलाह उपलब्ध कराई थी, ऐसे किसी व्यक्ति या संगठन के लिए या उसकी ओर से कार्य नहीं करेगा;

(ग) ऐसी जानकारी का उपयोग करते हुए किसी व्यक्ति को सलाह नहीं देगा, जो उसने अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में उस हैसियत में अभिप्राप्त की थी और जनता को अनुपलब्ध थी या उपलब्ध कराए जाने योग्य नहीं थी;

(घ) कार्यालय में अपने अंतिम दिन से तीन वर्ष की अवधि तक, किसी ऐसे अस्तित्व से सेवा संविदा नहीं करेगा, निदेशक मंडल की नियुक्ति स्वीकार नहीं करेगा या नियोजन का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगा, जिसका उससे उस पदावधि के दौरान प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण शासकीय कार्य व्यवहार था।

अध्यक्ष के कृत्य।

17. अध्यक्ष के पास प्राधिकरण के क्रियाकलापों के संचालन के सामान्य पर्यवेक्षण, निदेश की शक्तियां होंगी और वह प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करने के अलावा और इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण की ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो विहित किए जाएं।

अधिवेशन।

18. (1) प्राधिकरण, ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशन कर सकेगा और अपने अधिवेशनों के (ऐसे अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति सहित) कारबार संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो

विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) अध्यक्ष, यदि किन्हीं कारणों से प्राधिकरण के अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो ज्येष्ठतम सदस्य प्राधिकरण के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

(3) ऐसे सभी प्रश्न, जो प्राधिकरण के किसी अधिवेशन के समक्ष लाए जाते हैं, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा, विनिश्चित किए जाएंगे और मत के बराबर रहने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन सदस्य का मत द्वितीयक या निर्णायक होगा।

(4) प्राधिकरण के सभी विनिश्चयों का अधिप्रमाणन अध्यक्ष या इस निमित्त प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर द्वारा किया जाएगा।

(5) यदि कोई सदस्य, जो किसी कंपनी का निदेशक है और जो इस प्रकार निदेशक रहते हुए प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में विचार के लिए उद्भूत किसी विषय में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धनीय हित रखता है, वह यथाशीघ्र उसकी जानकारी में सुसंगत परिस्थितियों के आने के पश्चात् ऐसे अधिवेशन में अपने हित की प्रकृति प्रकट करेगा और ऐसे प्रकटन को प्राधिकरण की कार्यवाहियों में अभिलिखित किया जाएगा तथा वह सदस्य उस विषय की बाबत प्राधिकरण के किसी विचार-विमर्श या विनिश्चय में भाग नहीं लेगा।

रिक्तियों, आदि से प्राधिकरण की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

19. प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि,—

(क) प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है;

(ख) प्राधिकरण के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणावगुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी।

20. (1) भारत सरकार के अपर सचिव की पंक्ति से अन्यून, का प्राधिकरण का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, जो प्राधिकरण का सदस्य-सचिव होगा, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से प्राधिकरण को उसके कृत्यों के निर्वहन में अपेक्षित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, प्रकृति और प्रवर्गों का अवधारण कर सकेगा।

(3) प्राधिकरण के कार्यपालक अधिकारी, अन्य अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कृत्य।

21. (1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्राधिकरण का विधिक प्रतिनिधि होगा और निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा,—

(क) प्राधिकरण के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन;

(ख) कार्यचालन कार्यक्रम के क्रियान्वयन और प्राधिकरण द्वारा लिए गए विनिश्चय;

(ग) प्राधिकरण के कार्यचालन कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने;

(घ) प्राधिकरण के राजस्व और व्यय का विवरण तैयार करना और बजट का निष्पादन करने।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रत्येक वर्ष प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा,—

(क) पूर्ववर्ती वर्ष में प्राधिकरण के सभी क्रियाकलापों को सम्मिलित करते हुए साधारण रिपोर्ट;

(ख) कार्यचालन कार्यक्रम;

(ग) पूर्ववर्ती वर्ष का वार्षिक लेखा; और

(घ) आने वाले वर्ष के लिए बजट।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी का प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा।

22. प्राधिकरण की स्थापना से ही,— प्राधिकरण की आस्तियों दायित्वों का अंतरण।

(1) योजना आयोग, भारत सरकार की अधिसूचना सं॰ ए-43011/02/2009-प्रशासन 1, तारीख 28 जनवरी, 2009 द्वारा स्थापित भारतीय अद्वितीय पहचान प्राधिकरण की सभी आस्तियां और दायित्व प्राधिकरण को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगे;

स्पष्टीकरण—ऐसे भारतीय अद्वितीय पहचान प्राधिकरण की आस्तियों के अंतर्गत सभी अधिकार और शक्तियां और सभी संपत्तियां, चाहे स्थावर हो या जंगम, जिसके अंतर्गत विशिष्टियां नकद अधिशेष, निक्षेप और ऐसी संपत्तियों में या उससे उद्भूत सभी अन्य हक और अधिकार समझे जाएंगे, जो ऐसे भारतीय अद्वितीय पहचान प्राधिकरण के कब्जे में हों और इससे संबंधित सभी लेखा बही और अन्य दस्तावेज; तथा दायित्वों के अंतर्गत किसी भी प्रकार के सभी ऋण, दायित्व और बाध्यताएं समझी जाएंगी;

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त भारतीय अद्वितीय पहचान प्राधिकरण के संबंध में या उसके लिए उस दिन से ठीक पूर्व नामांकन के दौरान एकत्रित किए गए सभी आंकड़े और सूचना, किए गए अधिप्रमाणन के सभी ब्यौरे, उपगत ऋण, बाध्यताएं और दायित्व, की गई सभी संविदाएं और सभी विषय तथा ऐसे भारतीय अद्वितीय पहचान प्राधिकरण द्वारा, उसके साथ या उसके लिए की गई सभी बातें प्राधिकरण द्वारा, उसके साथ या उसके लिए उपगत, की गई या लगाई गई समझी जाएगी;

(3) उस दिन से ठीक पूर्व भारतीय अद्वितीय पहचान प्राधिकरण को शोध्य सभी धनराशियां, प्राधिकरण का शोध्य समझी जाएंगी, और

(4) उस दिन से ठीक पूर्व ऐसे भारतीय अद्वितीय पहचान प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित या जो संस्थित की जा सकती हैं, सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां, प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रह सकेंगी या संस्थित की जा सकेंगी।

23. (1) प्राधिकरण, निवासियों को आधार संख्यांक जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली विकसित करेगा और इस अधिनियम के अधीन उनका अधिप्रमाणन करेगा। प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य।

1956 का 1

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण की शक्तियों और कृत्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित में से सभी या कोई विषय सम्मिलित किए जा सकेंगे, अर्थात्:—

(क) आधार संख्यांक के नामांकन के लिए जन सांख्यिकी सूचना और बायोमेट्रिक सूचना के संग्रहण और उसके सत्यापन के लिए विनियम द्वारा प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करना;

(ख) ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आधार संख्यांक चाहने वाले किसी व्यक्ति से जन सांख्यिकी सूचना और बायोमेट्रिक सूचना एकत्रित करना;

(ग) केन्द्रीय पहचान आंकड़ा संग्रह के क्रियान्वयन के लिए एक या अधिक अस्तित्वों को नियुक्त करना;

(घ) आधार संख्यांक जनित करना और व्यक्तियों को सौंपना;

(ङ) आधार संख्यांकों का अधिप्रमाणन करना;

(च) केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार में व्यक्तियों की सूचना ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, बनाए रखना और अद्यतन करना;

(छ) किसी आधार संख्यांक और उससे संबंधित जानकारी का ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, लोप करना और निष्क्रिय करना;

(ज) विभिन्न फायदों और सेवाओं के परिदान के लिए आधार संख्यांक का उपयोग और प्रयोजनीयता विनिर्दिष्ट करना, जो विनियमों द्वारा उपबंधित की जाए;

(झ) रजिस्ट्रारों, नामांकन करने वाले अभिकरणों और सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति और उनकी नियुक्तियों के प्रतिसंग्रण के लिए विनियम द्वारा निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट करना;

(ञ) केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार की स्थापना करना, प्रचालन करना और बनाए रखना;

(ट) आधार संख्यांक धारकों की सूचना उनके लिखित सहमति से सार्वजनिक फायदे और सार्वजनिक सेवाओं के परिदान में लगे ऐसे अभिकरणों के साथ, जो प्राधिकरण आदेश द्वारा निदेश दे, ऐसी रीति में सांझा करना, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए;

(ठ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जानकारी और अभिलेख मंगाना, निरीक्षण और जांच करना तथा इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार, रजिस्ट्रार, नामांकन करने वाले अभिकरणों और नियुक्त अन्य अभिकरणों के परिचालनों की संपरीक्षा करना;

(ड) इस अधिनियम के अधीन विनियम द्वारा आंकड़ा प्रबंधन, सुरक्षा प्रोटोकाल और अन्य तकनीकी रक्षोपायों से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को विनिर्दिष्ट करना;

(ढ) विद्यमान आधार संख्यांक धारक को नए आधार संख्यांक जारी करने के लिए विनियम द्वारा शर्तें और प्रक्रियाएं विनिर्दिष्ट करना;

(ण) इस अधिनियम के अधीन ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, फीस का उद्ग्रहण और संग्रहण करना या रजिस्ट्रार, नामांकन करने वाले अभिकरणों या अन्य सेवा प्रदाताओं को उनके द्वारा उपलब्ध सेवाओं के लिए ऐसी फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करना;

(त) ऐसी समितियां नियुक्त करना, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण को उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए आवश्यक हों;

(थ) बायोमेट्रिक और संबंधित क्षेत्रों के संवर्धन के लिए, आधार संख्यांकों के प्रयोग और उपयोग भी हैं जिनके अंतर्गत समुचित तंत्र के माध्यम से अनुसंधान और विकास करना;

(द) रजिस्ट्रार, नामांकन करने वाले अभिकरणों और अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए विनियम द्वारा नीतियां और प्रक्रिया विकसित करना और विनिर्दिष्ट करना;

(ध) निवासियों, रजिस्ट्रारों, नामांकन करने वाले अभिकरणों और अन्य सेवा प्रदाताओं की शिकायतों के प्रतितोष के लिए सुविधा केंद्रों और शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करना;

(न) ऐसी अन्य शक्तियां और कृत्य, जो विहित किए जाएं।

(3) प्राधिकरण,—

(क) जानकारी एकत्र करने, भंडारण करने, सुरक्षित रखने या प्रक्रियागत करने या अधिप्रमाणन करने के संबंध में किन्ही कृत्यों को करने के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या अन्य अभिकरणों से, यथास्थिति, समझौता ज्ञापन या करार कर सकेगा;

(ख) जानकारी एकत्रित करने, भंडारण करने, सुरक्षित रखने, प्रक्रियागत करने या अधिप्रमाणन करने या उसके संबंध में कोई अन्य कृत्य करने के लिए अधिसूचना द्वारा, उतनी संख्या में रजिस्ट्रारों की नियुक्ति कर सकेगा, ऐसे अभिकरणों को लगा सकेगा या प्राधिकृत कर सकेगा,

जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो।

(4) प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए यथा अपेक्षित परामर्शदाताओं, सलाहकारों और अन्य व्यक्तियों को, ऐसे भत्तों और पारिश्रमिक तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, लगा सकेगा।

अध्याय 4

अनुदान, लेखा और संपरीक्षा तथा वार्षिक रिपोर्ट

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान।

24. केंद्रीय सरकार, इस निमित्त संसद् द्वारा विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् , प्राधिकरण को ऐसी धनराशि अनुदत्त कर सकेगी, जो केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे।

अन्य फीस और राजस्व।

25. प्राधिकरण द्वारा संग्रहीत फीस या राजस्व भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा और इस प्रकार जमा की गई संपूर्ण रकम प्राधिकरण को अंतरित हो जाएगी।

लेखा और लेखा परीक्षा।

26. (1) प्राधिकरण उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा उस प्ररूप में जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

(2) प्राधिकरण के लेखाओं की वार्षिक लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसे लेखा परीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय प्राधिकरण द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संदाय किया जाएगा।

(3) नियंत्रक महालेखा परीक्षक और उसके द्वारा प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति को वही अधिकार और विशेषाधिकार होंगे, जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में साधारण रूप से नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हैं और विशेष रूप से उसे लेखा बहियों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों तथा अन्य दस्तावेज और कागजपत्र प्रस्तुत करने और मांगने का अधिकार होगा तथा ऐसा व्यक्ति प्राधिकरण के कार्यालयों में से किसी कार्यालय का निरीक्षण भी कर सकेगा।

(4) नियंत्रक महालेखा परीक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राधिकरण के यथाप्रमाणित लेखाओं को उन पर उसकी लेखा रिपोर्ट सहित प्राधिकरण द्वारा वार्षिक रूप से केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

विवरणी और वार्षिक रिपोर्ट आदि।

27. (1) प्राधिकरण ऐसे समय और ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए या जैसा केन्द्रीय सरकार निदेश दे, केन्द्रीय सरकार को, प्राधिकरण की अधिकारिता के अधीन किसी विषय की बाबत ऐसी विवरणियों और विवरण तथा विशिष्टियों को, जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे, पेश करेगा।

(2) प्राधिकरण, प्रत्येक वर्ष एक बार ऐसे प्ररूप और रीति, ऐसे समय पर जो विहित किया जाए एक वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित का उल्लेख करते हुए तैयार करेगा—

(क) पूर्ववर्षों के प्राधिकरण के सभी क्रियाकलापों का वर्णन;

(ख) पूर्ववर्ष के लिए वार्षिक लेखा; और

(ग) आगामी वर्ष के कार्यक्रम।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्राप्त हुई रिपोर्ट की एक प्रति उसके प्राप्त होने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी।

अध्याय 5

पहचान पुनर्विलोकन समिति

पुनर्विलोकन समिति।

28. (1) केन्द्रीय सरकार, धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए और आधार संख्यांक के उपयोग से संबंधित किसी विषय की बाबत कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, अधिसूचना द्वारा पहचान पुनर्विलोकन समिति का गठन कर सकेगी।

(2) पुनर्विलोकन समिति ऐसे तीन सदस्यों (उनमें से एक केन्द्रीय सरकार द्वारा पदाभिहित अध्यक्ष होगा) से मिलकर बनेगी, जो व्यक्ति प्रख्यात, योग्य, निष्ठावान तथा जनजीवन में जिनकी प्रतिष्ठा हो तथा जिनके पास

तकनीकी, विधि, प्रशासन और शासन, सामाजिक सेवा, पत्रकारिता, प्रबंधन या सामाजिक विज्ञान का ज्ञान और अनुभव हो।

(3) पुनर्विलोकन समिति के सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—

(क) प्रधानमंत्री समिति के अध्यक्ष होंगे;

(ख) लोक सभा में विरोधी दल के नेता; और

(ग) प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्देशित संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री,

स्पष्टीकरण — शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषणा की जाती है कि जहां लोक सभा में विरोधी दल के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है वहां लोक सभा में सरकार के विरोध में, सबसे बड़े दल के नेता को विरोधी दल का नेता माना जाएगा।

(4) पुनर्विलोकन समिति का सदस्य, यथास्थिति, संसद् का कोई सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल का कोई सदस्य या किसी राजनैतिक दल का सदस्य नहीं होगा।

(5) पुनर्विलोकन समिति के सदस्य पद धारण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और वह पुनःनियुक्त किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(6) केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा पुनर्विलोकन समिति में से किसी ऐसे सदस्य को,—

(क) जो दिवालिया है या जिसे किसी भी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है;

(ख) जो सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है;

(ग) जिसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष किया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है;

(घ) जिसने ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित किए हैं जिनसे उसके सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) जिसने केन्द्रीय सरकार की राय में अपनी प्रास्थिति का दुरुपयोग इस प्रकार किया है जिससे उसका पद पर बना रहना लोक हित के लिए हानिकारक है,

पद से हटा सकेगी:

परंतु किसी ऐसे सदस्य को खंड (घ) या (ङ) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे विषय के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

पुनर्विलोकन समिति के कृत्य।

29. (1) पुनर्विलोकन समिति पूरे देश में आधार संख्यांक के प्रयोग की सीमा और पद्धति अभिनिश्चित करेगी और अपनी सिफारिशों के साथ आधार संख्यांक के उपयोग की सीमा और पद्धति के संबंध में एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट को तैयार करने की रीति ऐसी होगी जो, पुनर्विलोकन समिति द्वारा अवधारित की जाए।

(3) पुनर्विलोकन समिति की सिफारिशों के साथ रिपोर्ट की एक प्रति को उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र केन्द्रीय सरकार द्वारा संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाई जाएगी।

अध्याय 6

सूचना का संरक्षण

सूचना का संरक्षण और गोपनीयता।

30. (1) प्राधिकरण व्यष्टियों की पहचान सूचना अभिलेखों के और अधिप्रमाणन की सुरक्षा और गोपनीयता को सुनिश्चित करेगा।

(2) प्राधिकरण ऐसे उपाय (जिसके अंतर्गत सुरक्षा रक्षोपाय भी हैं) करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास या उसके नियंत्रण में जो सूचना (जिसके अंतर्गत केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार में एकत्रित सूचना भी है) है वह सुरक्षित है तथा अप्राधिकृत पहुंच या अप्राधिकृत प्रकटन से होने वाली किसी हानि से उसे संरक्षित किया गया है।

(3) किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी और इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्राधिकरण या उसका कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी या कोई अभिकरण, जो कि केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार को बनाए रखता है, वह अपनी सेवा के दौरान या उसके पश्चात् केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार में एकत्रित कोई सूचना किसी व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगा:

परंतु कोई आधार संख्यांक धारक प्राधिकरण से अपनी पहचान सूचना देने के लिए अनुरोध कर सकता है और यह अनुरोध विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति में किया जाएगा।

जन सांख्यिकी सूचना या बायोमेट्रिक सूचना में फेरबदल।

31. (1) यदि किसी आधार संख्यांक धारक से संबंधित कोई जनसांख्यिकी सूचना गलत पाई जाती है या तत्पश्चात् उसमें परिवर्तन किया जाता है तब आधार संख्यांक धारक प्राधिकरण को विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की गई रीति में केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार में के अपने अभिलेख में की जनसांख्यिकी सूचना में परिवर्तन करने का अनुरोध करेगा।

(2) यदि आधार संख्यांक धारक की बायोमेट्रिक सूचना गुम हो गई है या तत्पश्चात् किसी भी कारण से उसमें परिवर्तन हो गया है तब आधार संख्यांक धारक प्राधिकरण को विनियमों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट रीति में केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार में के अपने अभिलेख में आवश्यक परिवर्तन करने का अनुरोध करेगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई अनुरोध प्राप्त होने पर, प्राधिकरण का यदि समाधान हो जाता है तो ऐसे परिवर्तन कर सकेगा जो ऐसे आधार संख्यांक धारक से संबंधित अभिलेख में अपेक्षित हों और ऐसे परिवर्तन को संबद्ध आधार धारक को सूचित कर सकेगा।

सूचना रखना और अधिप्रमाणन के लिए अनुरोध अभिलेख के प्रति पहुंच।

32. (1) प्राधिकरण प्रत्येक आधार संख्यांक धारक की पहचान के अधिप्रमाणन के लिए प्रत्येक अनुरोध और उसके द्वारा उस पर दिए गए उत्तर के ब्यौरे ऐसी रीति और ऐसे समय के लिए रखेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) प्रत्येक आधार संख्यांक धारक अपने आधार संख्यांक के अधिप्रमाणन के लिए अनुरोध और प्राधिकरण द्वारा उस पर दिए गए उत्तर के ब्यौरे ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अभिप्राप्त करने का हकदार होगा।

कतिपय मामलों में सूचना का प्रकटन।

33. धारा 36 की उपधारा (3) की कोई बात निम्नलिखित की बाबत लागू नहीं होगी–

(क) सक्षम न्यायालय के किसी आदेश के अनुसरण में किया गया सूचना का प्रकटन (जिसके अंतर्गत अधिप्रमाणन की पहचान सूचना या ब्यौरे भी हैं); या

(ख) केन्द्रीय सरकार के किसी, आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत केंद्रीय सरकार में संयुक्त सचिव से अन्यून या समतुल्य पंक्ति के किसी अधिकारी या अधिकारियों द्वारा जारी उस आशय के निदेश के अनुसरण में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किया गया सूचना का कोई प्रकटन जिसके अंतर्गत पहचान सूचना भी है।

अध्याय 7

अपराध और शास्तियां

नामांकन के समय प्रतिरूपण के लिए शास्ति।

34. जो कोई किसी अन्य व्यक्ति को चाहे वह मृत हो या जीवित, वास्तविक हो या काल्पनिक कोई मिथ्या जनसांख्यिकी सूचना या बायोमेट्रिक सूचना उपलब्ध करवाकर प्रतिरूपण करता है या प्रतिरूपण करने का प्रयास करता है ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

जनसांख्यिकी सूचना या, बायोमेट्रिक सूचना को परिवर्तित करके आधार संख्यांक धारक के प्रतिरूपण के लिए शास्ति।

35. जो कोई क्षति कारित करने या रिष्टि के आशय से किसी आधार संख्यांक धारक को या आधार संख्यांक धारक की पहचान को विनियोजित करने के आशय से किसी आधार संख्यांक धारक की जनसंख्यिकी सूचना या बायोमेट्रिक सूचना में किसी अन्य व्यक्ति को चाहे वह मृत हो या जीवित, वास्तविक हो या काल्पनिक प्रतिरूपण करके या प्रतिरूपण का प्रयास करके परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

प्रतिरूपण के लिए शास्ति।

36. जो कोई इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पहचान सूचना एकत्रित करने के लिए प्राधिकृत न होते हुए शब्दों, आचरण या भावभंगिमा द्वारा यह बहाना करता है कि वह ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कंपनी की दशा में, ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

पहचान सूचना के प्रकटन के लिए शास्ति।

37. जो कोई नामांकन या अधिप्रमाणन के अनुक्रम में संगृहीत किसी पहचान सूचना को इस अधिनियम के अधीन अप्राधिकृत किसी व्यक्ति को साशय प्रकटन करता है, पारेषण करता है या नकल करता है या अन्यथा प्रसारित करता है, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार तक अप्राधिकृत पहुंच के लिए शास्ति।

38. जो कोई प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत न होने पर साशय,—

(क) केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार तक पहुंच रखता है या पहुंच सुनिश्चित करता है; या

(ख) केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार से या किसी स्थानांतरणीय भंडार माध्यम से कोई आंकड़ा डाउनलोड करता है, प्रतिलिपि करता है या उद्धरण लेता है; या

(ग) कोई वायरस या अन्य कंप्यूटर संदूषक प्रवेश करता है या प्रवेश करवाता है; या

(घ) केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार में आंकड़ों को नुकसान पहुंचाता है या नुकसान पहुंचवाता है; या

(ङ) केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार पहुंच से विछिन्न करता है या विछिन्न करवाता है; या

(च) केन्द्रीय पहचान आंकड़ा निक्षेपागार में पहुंच के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति की पहुंच से इंकार करता है या इंकार करवाता है; या

(छ) ऊपर उल्लिखित कृत्यों में से किसी को करने के लिए किसी व्यक्ति को कोई सहायता प्रदान करता है; या

(ज) किसी विकलनीय भंडारण मीडिया या केन्द्रीय पहचान आंकड़ा निक्षेपागार में भंडारित किसी सूचना को नष्ट करता है, हटाता है या परिवर्तित करता है अथवा उसके मूल्य या उपयोगिता या प्रभाव को किसी क्षतिपूर्ण साधन द्वारा कम करता है; या

(झ) नुकसान कारित करने के आशय से प्राधिकरण द्वारा प्रयुक्त किसी कंप्यूटर स्रोत कोड को चुराता है, छिपाता है,नष्ट करता है या परिवर्तित करता है अथवा किसी व्यक्ति से चोरी करवाता है या छिपवाता है या नष्ट करवाता है या परिवर्तित करवाता है,

ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से जो एक करोड़ रुपए से अन्यून नहीं हो, दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए '' कम्प्यूटर संदूषण'', ''कम्प्यूटर वायरस'' और ''नुकसानी'' पदों के क्रमश: वही अर्थ होंगे जो सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में है। 2000 का 21

केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार में आंकड़ा के साथ छेड़छाड़ करने के लिए शास्ति।

39. जो कोई प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत न होते हुए केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार में आंकड़ा या किसी हटाने योग्य भंडार माध्यम में आंकड़े का उपयोग करता है या आधार संख्यांक धारक से संबंधित सूचना को उपांतरित करने के आशय से छेडछाड़ करता है या उसकी किसी सूचना में खोज करता है ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

बायोमेट्रिक सूचना के छलसाधन के लिए शास्ति।

40. जो कोई आधार संख्यांक या अधिप्रमाणन या अपनी सूचना के अद्यतन के प्रयोजन के लिए ऐसी कोई बायोमेट्रिक सूचना जो उससे संबंधित नहीं है, देता है या देने का प्रयास करता है, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

साधारण शास्ति।

41. जो कोई इस अधिनियम के अधीन कोई ऐसा अपराध करता है जिसके लिए इस धारा से भिन्न अन्यत्र कोई शास्ति उपबंधित नहीं है, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

कंपनियों द्वारा अपराध।

42. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहां, प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय भारसाधक था, और कंपनी के कारबार और कंपनी के आचरण के प्रति उत्तरदायी था, उस अपराध के लिए दोषी समझा जाएगा और अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए दायी होगा तथा तदनुसार दंडित किया जाएगा:

परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड के लिए दायी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या यह कि उसने ऐसे अपराध के होने को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परताएं बरती थीं।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई अपराध इस अधिनियम के अधीन किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या अनुमति से किया गया है या उनमें से किसी की ओर से कोई लापरवाही बरती गई है तो वे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए दायी होंगे तथा तदनुसार दंडित किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) ''कंपनी'' से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत कोई फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) फर्म के संबंध में ''निदेशक'' से फर्म में भागीदार अभिप्रेत हैं।

भारत से बाहर कारित किए गए अपराध या उल्लंघन के लिए अधिनियम का लागू होना।

43. (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंध किसी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर कारित किए गए किसी अपराध या उल्लंघन को भी, उसकी राष्ट्रीयता को विचार में लाए बिना लागू होंगे।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, इस अधिनियम के उपबंध, किसी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर कारित किए गए किसी अपराध या उल्लंघन, यदि ऐसे कृत्य या आचरण में केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार से संबंधित अपराध या उल्लंघन है, को लागू होंगे।

1974 का 2

अपराधों का अन्वेषण करने की शक्ति।

44. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो।

शास्तियां अन्य दंडादेश में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

45. इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कोई शास्ति, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अन्य शास्ति या दंडादेश को अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी।

अपराधों का संज्ञान।

46. (1) प्राधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के सिवाय, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से निचले न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

केन्द्रीय सरकार की प्राधिकरण अतिष्ठित करने की शक्ति।

47. (1) यदि किसी समय केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि—

(क) नियंत्रण के परे की परिस्थितियों के कारण प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या इसके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है; या

(ख) प्राधिकरण ने केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी निदेश के अनुपालन में या इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में बार-बार व्यतिक्रम किया है और उस व्यतिक्रम के फलस्वरूप प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति या प्राधिकरण के प्रशासन को हानि हुई है; या

(ग) ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

तो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, छह मास से अनधिक की उतनी अवधि के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, प्राधिकरण को अधिक्रांत कर सकेगी और इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करते हुए ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी जो राष्ट्रपति निदेश दें:

परन्तु केन्द्रीय सरकार, ऐसी कोई अधिसूचना जारी करने से पूर्व प्राधिकरण के प्रस्थापित अधिक्रमण के विरुद्ध प्राधिकरण को अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देगी और प्राधिकरण के अभ्यावेदन पर, यदि कोई हों, पर विचार करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण को अधिक्रमित करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर—

(क) अध्यक्ष और अन्य सदस्य, अधिक्रमण की तारीख से ही अपना पद, उसी रूप में रिक्त कर देंगे;

(ख) उन सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का, जिनका इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन, प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग किया जा सकेगा या निर्वहन किया जा सकेगा, जब तक उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन नहीं हो जाता है तब तक उनका उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा; और

(ग) प्राधिकरण के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन सभी संपत्तियां, तब तक, जब तक उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता है, केन्द्रीय सरकार में निहित होंगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिक्रमण की अवधि समाप्ति पर या उसके पूर्व केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण का, उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नई नियुक्ति द्वारा पुनर्गठन करेगी और ऐसी दशा में वह व्यक्ति, जिसने उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अपना पद रिक्त किया है, पुनर्नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जाएगा।

(4) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना की और इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई की तथा उन परिस्थितियों की, जिनके कारण ऐसी कार्रवाई की गई है, पूरी रिपोर्ट की एक प्रति शीघ्रातिशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

सदस्यों, अधिकारियों आदि का लोक सेवक होना।

48. प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में कार्य करने के दौरान या कार्य करने के लिए तात्पर्यित होने के दौरान, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थातर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। 1860 का 45

केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति।

49. (1) प्राधिकरण, इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में या अपने कृत्यों का पालन करने में, उन प्रश्नों से भिन्न, जो तकनीकी और प्रशासनिक विषयों के संबंध में हैं, नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर लिखित में दे सकेगी:

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई निदेश देने के पूर्व प्राधिकरण को यथासाध्य अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार का यह विनिश्चय, कि वह नीति का प्रश्न है या नहीं, अंतिम होगा।

प्रत्यायोजन।

50. प्राधिकरण, लिखित में, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को (धारा 53 के अधीन शक्ति के सिवाय) प्रत्यायोजित कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

51. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियम या विनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण या प्राधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्य अथवा किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

52. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) वह प्ररूप और रीति, जिसमें और वह प्राधिकारी, जिसके समक्ष, धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ ली जाएगी;

(ख) धारा 14 की उपधारा (5) के अधीन प्राधिकरण के अध्यक्ष को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें तथा सदस्यों को संदेय भत्ते या पारिश्रमिक;

(ग) धारा 17 के अधीन प्राधिकरण के अध्यक्ष की अन्य शक्तियां और कृत्य;

(घ) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (न) के अधीन प्राधिकरण की अन्य शक्तियां और कृत्य;

(ङ) धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण द्वारा तैयार किए जाने वाले लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्ररूप;

(च) वह प्ररूप और रीति जिसमें और वह समय जिसके भीतर धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन विवरणियां और विवरण तथा ब्यौरे दिए जाएंगे;

(छ) वह प्ररूप और रीति तथा समय, जब प्राधिकरण धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट देगा;

(ज) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए अथवा जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है या उपबंध किया जाए।

प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति।

53. (1) प्राधिकरण, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्ही विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा (2) के खंड (ङ)के अधीन बायोमेट्रिक सूचना और खंड (ज) के अधीन जन सांख्यकीय सूचना;

(ख) धारा 2 के खंड (ञ) के अधीन अभ्यावेशन अभिकरण द्वारा व्यष्टियों से बायोमेट्रिक सूचना और जन सांख्यकीय सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया;

(ग) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन निवासी द्वारा जन सांख्यकीय सूचना और बायोमेट्रिक सूचना देने की रीति;

(घ) धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन आधार संख्यांक जारी करने के लिए जन सांख्यकीय सूचना और बायोमेट्रिक सूचना के सत्यापन की रीति;

(ङ) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन आधार संख्यांक के अधिप्रमाणन की शर्तें, फीस और रीति;

(च) धारा 7 के अधीन केन्द्रीय पहचान आंकड़ा संग्रह द्वारा पालन किए जाने वाले अन्य कृत्य;

(छ) धारा 8 के अधीन बायोमेट्रिक सूचना और जन सांख्यकीय सूचना को अद्यतन करने की रीति;

(ज) धारा 10 के अधीन व्यष्टियों के ऐसे अन्य प्रवर्ग जिनके लिए प्राधिकरण आधार संख्यांक जारी करने हेतु विशेष उपाय करेगा;

(झ) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण की बैठकों का समय और स्थान तथा उसके द्वारा कारबार के संव्यवहार के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत गणपूर्ति भी है);

(ञ) धारा 20 की उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ट) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन जन सांख्यकीय सूचना और बायोमेट्रिक सूचना और उनके संग्रहण तथा सत्यापन के लिए प्रक्रिया तथा खंड (ख) के अधीन उनके संग्रहण की रीति;

(ठ) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन केन्द्रीय पहचान आंकड़ा संग्रह में व्यष्टियों की सूचना का अनुरक्षण और अद्यतन करने की रीति;

(ड) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (छ) के अधीन उससे संबंधित आधार संख्यांक और सूचना का लोप करने और उसे निष्क्रिय करने की रीति;

(ढ) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन विभिन्न फायदों और सेवाओं के परिदान के लिए आधार संख्यांक की प्रथा और उसकी व्यवहारिता;

(ण) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (झ) के अधीन रजिस्ट्रार, अभ्यावेशन अभिकरणों और अन्य सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति और उनकी नियुक्तियों का प्रतिसंहरण करने के निबंधन और शर्तें;

(त) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (ट) के अधीन आधार संख्यांक धारक की सूचना देने की रीति;

(थ) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (ड) के अधीन आंकड़े प्रबंधन, सुरक्षा प्रोटाकॉल और अन्य प्रौद्योगिकी रक्षोपाय से संबंधित विभिन्न प्रक्रिया;

(द) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (ढ) के अधीन विद्यमान आधार संख्यांक धारक को नवीन आधार संख्यांक जारी करने की प्रक्रिया;

(ध) रजिस्ट्रार, अभ्यावेशन अभिकरण या अन्य सेवा प्रदाताओं को, धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (ण) के अधीन उनके द्वारा उपलब्ध कार्रवाई की गई सेवाओं के लिए ऐसी फीस के संग्रहण हेतु प्राधिकृत करने की रीति;

(न) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (द) के अधीन रजिस्ट्रार, अभ्यावेशन अभिकरणों और अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियां और पद्धतियां;

(प) धारा 23 की उपधारा (4) के अधीन परामर्शियों, सलाहकार और अन्य व्यक्तियों के भत्ते या पारिश्रमिक तथा निबंधन और शर्तें;

(फ) धारा 30 की उपधारा (3) के अधीन वह रीति जिसमें आधार संख्यांक धारक द्वारा पहचान सूचना तक पहुंचने की रीति;

(ब) धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन जन सांख्यकीय सूचना और उपधारा (2) के अधीन बायोमेट्रिक सूचना के परिवर्तन की रीति;

(भ) धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन अधिप्रमाणन की रीति और उसके अनुरोध करने और उस पर प्रतिक्रिया करने का समय;

(म) धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन आधार संख्यांक धारक द्वारा अधिप्रमाण के लिए अनुरोध करने और उस पर प्रतिक्रिया करने का अभिलेख अभिप्राप्त करने की रीति;

(य) कोई अन्य विषय, जो विनिर्दिष्ट किया जाना है या विनिर्दिष्ट किया जाए या जिसकी बाबत विनियमों द्वारा उपबंध किया जाना है या उपबंध किया जाए।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना।

54. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम अथवा विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम अथवा विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अन्य विधियों का लागू होना वर्जित नहीं है।

55. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

56. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

व्यावृत्तियां।

57. भारत सरकार के योजना आयोग की अधिसूचना संख्यांक ए-43011/02/2009-प्रशासन 1, तारीख 28 जनवरी, 2009 के संकल्प के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

केन्द्रीय सरकार ने भारत में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों और कतिपय अन्य व्यक्तियों को विशिष्ट पहचान संख्यांक जारी करने का विनिश्चय किया था। विशिष्ट पहचान स्कीम के अंतर्गत व्यष्टियों से ऐसे व्यष्टियों को विशिष्ट पहचान संख्यांक जारी करने के प्रयोजन के लिए जनसांख्यकीय सूचना और बायोमेट्रिक सूचना का संग्रहण अंतर्वलित है। बायोमेट्रिक सूचना के अंतर्गत ऐसे व्यष्टियों के जैव योगदानों के सैट को प्राप्त करना अंतर्वलित होगा।

2. केन्द्रीय सरकार ने विशिष्ट पहचान संख्यांक को जारी करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालक प्रकृति की अपनी तारीख 28 जनवरी, 2009 की अधिसूचना द्वारा भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का गठन किया था, जो इस समय योजना आयोग के अधीन कार्य कर रहा है।

3. यह संप्रेषित और निर्धारित किया गया है कि कोई विशिष्ट पहचान संख्यांक जारी किए जाने के अंतर्गत कतिपय मुद्दे अंतर्वलित होंगे, जैसे (क) सूचना की सुरक्षा और गोपनीयता, कतिपय मामलों में इस प्रकार संगृहीत सूचना के प्रकटन की बाध्यता का अधिरोपण; (ख) कोई विशिष्ट पहचान संख्यांक जारी करने के लिए नामांकन के समय कतिपय व्यष्टियों द्वारा प्रतिरूपण; (ग) केन्द्रीय पहचान आंकड़ा निक्षेपागार के प्रति अप्राधिकृत पहुंच; (घ) बायोमेट्रिक सूचना का छल साधन; (ङ) अपराध गठित करने वाले कतिपय कृत्यों का अन्वेषण; और (च) विशिष्ट पहचान संख्यांक जारी करने के प्रयोजनों के लिए संगृहीत सूचना का अप्राधिकृत प्रकटन जो विधि द्वारा संबोधित होना चाहिए और जिसमें शास्तियां भी हों।

4. पूर्वगामी पैरा को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया गया है कि उक्त प्राधिकरण को भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों को प्रभावी रीति से पहचान संख्यांक जारी करने के कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए एक कानूनी प्राधिकरण बनाया जाए। अत: यह प्रस्ताव किया गया है कि भारत में निवास कर रहे व्यष्टियों और कतिपय अन्य वर्गों के व्यष्टियों को पहचान संख्यांक (जिसे आधार संख्यांक कहा गया है) जारी करने के प्रयोजन के लिए तथा ऐसे व्यष्टियों की ऐसे फायदों और सेवाओं तक पहुंच को सुकर बनाने के लिए जिनके लिए ऐसे व्यष्टि हकदार हैं, अधिप्रमाणन की रीति के लिए भारत का राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण की स्थापना करने तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए भारत का राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक, 2010 अधिनियमित किया जाए।

5. भारत का राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक, 2010, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए है—

(क) प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक निवासी को उसे ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए अपनी जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमेट्रिक सूचना उपलब्ध कराने पर आधार संख्यांक जारी करने के लिए;

(ख) किसी आधार संख्यांक धारक के आधार संख्यांक का उसकी बायोमेट्रिक सूचना और जनसांख्यिकी सूचना के संबंध में ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी फीस का संदाय करने पर जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए अधिप्रमाणन करने के लिए;

(ग) भारत के राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए जो एक अध्यक्ष और दो अंशकालिक सदस्यों से मिलकर बनेगा;

(घ) यह कि प्राधिकरण द्वारा ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सम्मिलित हैं:—

(i) किसी आधार संख्यांक के नामांकन के लिए तथा उसके संग्रहण और सत्यापन के लिए प्रक्रिया जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमेट्रिक सूचना विनिर्दिष्ट करना;

(ii) कोई आधार संख्यांक चाहने वाले किसी व्यष्टि से ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमेट्रिक सूचना संगृहीत करना;

(iii) केन्द्रीय पहचान आंकड़ा निक्षेपागार का संचालन करने के लिए एक या अधिक अस्तित्वों को नियुक्त करना;

(iv) केन्द्रीय पहचान आंकड़ा निक्षेपागार में ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए व्यष्टियों की सूचना को रखना और अद्यतन करना;

(v) विनियमों द्वारा उपबंधित किए जाने वाले विभिन्न फायदे और सेवाओं के प्रदान के लिए आधार संख्यांक की उपयोगिता और अप्रयुक्ता विनिर्दिष्ट करना;

(ङ) यह कि प्राधिकरण किसी व्यष्टि से अपेक्षा नहीं करेगा कि वह अपने-अपने वंश, धर्म, जाति, जनजाति सामाजिक परिवेश, भाषा, आय या स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराए;

(च) यह कि प्राधिकरण केन्द्रीय पहचान आंकड़ा निक्षेपागार की स्थापना करने और बनाए रखने तथा किन्हीं अन्य कृत्यों का निष्पादन करने के लिए, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं एक या अधिक अस्तित्वों को लगाएगा;

(छ) पहचान पुनर्विलोकन समिति का गठन करने के लिए जो तीन सदस्यों से मिलकर बनेगी (उनमें से एक अध्यक्ष होगा) संपूर्ण देश में आधार संख्यांक के प्रयोग की सीमा और पद्धति सुनिश्चित करने के लिए और उन पर अपनी सिफारिशों सहित आधार संख्यांक के प्रयोग की सीमा और पद्धति के संबंध में एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसे केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा;

(ज) यह कि प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्राधिकरण के कब्जे और नियंत्रण में जानकारी (जिसके अंतर्गत केन्द्रीय पहचान आंकड़ा निक्षेपागार में भंडारित सूचना भी है) किसी हानि या अप्राधिकृत पहुंच या उसके अप्राधिकृत उपयोग या प्रकटन के विरुद्ध सुरक्षित और संरक्षित है, उपाय करेगा (जिसके अंतर्गत सुरक्षा रक्षोपाय भी है);

(झ) प्रस्तावित विधान के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए दंड और शास्तियों के लिए।

6. खंडों पर टिप्पण विधेयक में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों को विस्तृत रूप से स्पष्ट करते हैं।

7. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है।

नई दिल्ली;
8 नवंबर, 2010

मनमोहन सिंह

खंडों पर टिप्पण

खंड 2–इस खंड में प्रस्तावित विधान में प्रयुक्त कतिपय शब्दों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट हैं। इन परिभाषाओं में अन्य बातों के साथ-साथ ''आधार संख्यांक'', ''अधिप्रमाणन'', ''केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपगार'', ''जनसांख्यकीय सूचना'', ''पहचान सूचना'', ''निवासी'', ''पुनर्विलोकन समिति'' आदि सम्मिलित हैं।

खंड 3–यह खंड प्रत्येक निवासी द्वारा आधार संख्या अभिप्राप्त करने की हकदारी के लिए उपबंध करता है। यह प्रस्ताव करता है कि प्रत्येक निवासी प्राधिकरण को ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, जन सांख्यिकी सूचना और बायोमेट्रिक सूचना उपलब्ध कराए जाने पर एक आधार संख्या अभिप्राप्त करने का हकदार होगा। यह और उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर व्यष्टियों के ऐसे अन्य प्रवर्ग को, जो आधार संख्या अभिप्राप्त करने का हकदार हो सकेगा, अधिसूचित कर सकेगी। यह, यह भी उपबंध करता है कि प्राधिकरण निवासी द्वारा उपलब्ध कराई गई जन सांख्यिकी सूचना और बायोमेट्रिक सूचना का सत्यापन करने के पश्चात् ऐसे निवासी को एक आधार संख्या जारी करेगा।

खंड 4–आधार संख्या के तत्वों से संबंधित है। खंड यह उपबंध करता है कि किसी व्यष्टि को जारी की गई किसी आधार संख्या को किसी अन्य व्यष्टि को पुन: समनुदेशित नहीं किया जाएगा; यह अनिश्चित संख्या होगी और आधार संख्या धारक से संबंधित उस पर कोई अभिव्यक्ति या पहचान आंकड़ा नहीं होगा। खंड यह और उपबंध करता है कि आधार संख्या अधिप्रमाणन के अध्यधीन आधार संख्या धारक की पहचान के सबूत के रूप में स्वीकार की जा सकेगी।

खंड 5–यह खंड प्राधिकरण को आधार संख्या धारक की आधार संख्या का अधिप्रमाणन, उसकी बायो-मीट्रिक सूचना और जन साख्यिकी सूचना के संबंध में ऐसी शर्तों के अध्यधीन और ऐसी फीस के संदाय पर तथा ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, का निष्पादन करने के लिए सशक्त होता है। यह प्राधिकरण को अधिप्रमाणन पूछताछ का उत्तर, सकारात्मक या नकारात्मक उत्तर में या किसी अन्य समुचित उत्तर में जिसके अंतर्गत कोई जन सांख्यिकी सूचना और बायोमीट्रिक सूचना नहीं है, देने के लिए भी सशक्त होता है।

खंड 6–यह खंड अधिकथित करता है कि आधार संख्या या उसका अधिप्रमाणन स्वत: ही किसी आधार संख्या धारक की बाबत नागरिकता या अधिवास का कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा या सबूत नहीं होगा।

खंड 7–यह खंड प्राधिकरण को केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार स्थापित करने और बनाए रखने के लिए और कोई अन्य कृत्य करने के लिए, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, सशक्त करता है।

खंड 8–यह खंड समय-समय पर ऐसी रीति में जो विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट की जाए, आधार संख्या धारकों की सांख्यिकीय सूचना और बायोमीट्रिक सूचना आबंटन करने से संबंधित है जिससे कि केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपगार में उनकी सूचना की सतत यथार्थता सुनिश्चित की जा सके।

खंड 9–यह खंड प्राधिकरण को किसी व्यष्टि से उसके मूलवंश, धर्म, जाति, जनजाति, नस्ल, भाषा, आय या स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देने की अपेक्षा करने से प्रतिषिद्ध करता है।

खंड 10–यह खंड प्राधिकरण को स्त्री, बालक, वरिष्ठ नागरिक, नि:शक्त व्यक्ति, प्रवासी, अकुशल और संगठित कर्मकार, भ्रमणशील जनजाति या ऐसे अन्य व्यक्तियों को जिनके पास रहने के लिए कोई स्थायी मकान नहीं है और ऐसे अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों को, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, आधार संख्या जारी करने के लिए विशेष उपाय करने के लिए सशक्त करता है।

खंड 11–यह खंड केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और प्रस्तावित विधान के अधीन उसे समनुदेशित कृत्यों का निर्वहन करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए उपबंध करता है। उक्त प्राधिकरण एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जंगम और स्थावर, दोनों प्रकार की

संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा। यह और उपबंध करता है कि प्राधिकरण का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थित होगा और केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर इसके कार्यालय स्थापित किए जा सकेंगे।

खंड 12– यह खंड प्राधिकरण की संरचना को अधिकथित करता है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अध्यक्ष और दो अंशकालिक सदस्यों से मिलकर बनेगा।

खंड 13– यह खंड प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताओं का उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि तकनीकी, शासन, विधि, विकास, अर्थशास्त्र, वित्त, प्रबंध, सार्वजनिक कार्य या प्रशासन से संबंधित विषयों में अनुभव, ज्ञान रखने वाले योग्य, प्रतिष्ठित और उत्कृष्ट व्यक्ति प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में अर्हित होंगे।

खंड 14– यह खंड अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तों के लिए उपबंध करता है। खंड यह उपबंध करता है कि अध्यक्ष और सदस्य, उस तारीख से, जिसको वे पद ग्रहण करते हैं, खंड तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। यह, यह भी उपबंध करता है कि प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य पैंसठ वर्ष की आयु अभिप्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेंगे। यह और उपबंध करता है कि अधिसूचना सं॰ 43011/02/2009-प्रशा॰ 1 (जिल्द 2) तारीख 2 जुलाई, 2009 द्वारा इस प्रस्तावित विधान के प्रारंभ के पूर्व नियुक्त भारतीय अद्वितीय पहचान प्राधिकरण का अध्यक्ष ऐसी अवधि, जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई थी प्रस्तावित विधान प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में बना रहेगा।

खंड यह भी उपबंध करता है कि अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपना पद ग्रहण करने के पूर्व ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसे प्राधिकारी के समक्ष, जो विहित किया जाए, पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और दिलाएगा।

खंड यह और उपबंध करता है कि उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष या सदस्य, लिखित रूप में तीस दिन से अन्यून की सूचना केन्द्रीय सरकार को देकर अपना पद त्याग सकेगा; या खंड 15 के उपबंधों के अनुसार अपने पद से हटाया जा सकेगा। खंड यह भी उपबंध करता है कि अध्यक्ष प्राधिकरण में इस प्रकार अपना पद धारण करने की अवधि के दौरान कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा।

खंड यह भी उपबंध करता है कि अध्यक्ष का संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें और अंशकालिक सदस्यों को संदेश भत्ते या पारिश्रमिक वे होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं किंतु अध्यक्ष का न तो वेतन, भत्ते न ही सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके अलाभ के लिए परिवर्तित किया जाएगा।

खंड 15– यह खंड प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के हटाए जाने के लिए उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्य को इस खंड में प्रगणित किसी आधार पर पद से हटा सकेगी।

खंड यह और उपबंध करता है कि अध्यक्ष या किसी सदस्य को उपखंड (1) के खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

खंड 16– यह खंड प्राधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में पद की समाप्ति पर अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में पद धारण करने से प्रतिषिद्ध करता है। यथास्थिति प्राधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य प्रस्तावित विधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए पद धारण रखने पर तीन वर्ष की अवधि के लिए इस अधिनियम के अधीन किसी कार्य से सहयुक्त रहने पर किसी व्यक्ति के प्रबंध या प्रशासन में और व्यक्ति के लिए अपात्र होगा। खंड यह भी उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या किसी कानूनी प्राधिकरण या किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा इसके अधीन स्थापित किसी निगम या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनी को लागू नहीं होगा।

खंड यह भी प्रतिषिद्ध करने के लिए उपबंध करता है कि किसी विनिर्दिष्ट कार्यवाही या संव्यवहार या बातचीत या ऐसे मामले के संबंध में, जिसका प्राधिकरण कोई पक्षकार है और जिसकी बाबत अध्यक्ष या ऐसे

सदस्य ने पद की समाप्ति के पूर्व प्राधिकरण के लिए कार्य किया था, या उसको सलाह उपलब्ध कराई थी, ऐसे किसी व्यक्ति या संगठन के लिए या उसकी ओर से कार्य नहीं करेगा। ऐसी जानकारी का उपयोग करते हुए किसी व्यक्ति को सलाह नहीं देगा, जो उसने अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में उस हैसियत में अभिप्राप्त की थी और जनता को अनुपलब्ध थी या उपलब्ध कराए जाने योग्य नहीं थी। कार्यालय में अपने अंतिम दिन से तीन वर्ष की अवधि तक, किसी ऐसे अस्तित्व से सेवा संविदा नहीं करेगा, निदेशक मंडल की नियुक्ति स्वीकार नहीं करेगा या नियोजन का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगा, जिसका उससे उस पदावधि के दौरान प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण शासकीय कार्य व्यवहार था।

खंड 17– यह खंड अध्यक्ष के कृत्य अधिकथित करता है। यह उपबंध करता है कि अध्यक्ष के पास प्राधिकरण के क्रियाकलापों के संचालन की सामान्य पर्यवेक्षण, निदेश की शक्तियां होंगी और वह प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करने के अलावा और इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण की ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो विहित किए जाएं।

खंड 18– यह खंड प्राधिकरण को अपने अधिवेशनों में कारबार संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया अवधारित करने के लिए सशक्त करता है जिसके अंतर्गत ऐसे अधिवेशनों का समय और स्थान भी है। खंड यह उपबंध करता है कि अध्यक्ष, यदि किन्हीं कारणों से प्राधिकरण के अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो ज्येष्ठतम सदस्य प्राधिकरण के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

खंड यह और उपबंध करता है कि ऐसे सभी प्रश्न, जो प्राधिकरण के किसी अधिवेशन के समक्ष लाए जाते हैं, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा, विनिश्चित किए जाएंगे और मत के बराबर रहने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन सदस्य का मत द्वितीयक या निर्णायक होगा और प्राधिकरण के सभी विनिश्चयों का अधिप्रमाणन अध्यक्ष या इस निमित्त प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर द्वारा किया जाएगा।

खंड यह भी उपबंध करता है कि कोई सदस्य, जो किसी कंपनी का निदेशक है और जो इस प्रकार निदेशक रहते हुए प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में विचार के लिए उद्भूत किसी विषय में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धनीय हित रखता है, वह यथाशीघ्र उसकी जानकारी में सुसंगत परिस्थितियों के आने के पश्चात् ऐसे अधिवेशन में अपने हित की प्रकृति प्रकट करेगा और ऐसे प्रकटन को प्राधिकरण की कार्यवाहियों में अभिलिखित किया जाएगा तथा वह सदस्य उस विषय की बाबत प्राधिकरण के किसी विचार-विमर्श या विनिश्चय में भाग नहीं लेगा।

खंड 19– यह खंड उन परिस्थितियों को उल्लिखित करता है जिनके अधीन प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी। खंड यह उपबंध करता है कि प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणावगुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

खंड 20 – यह खंड प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए उपबंध करता है। यह केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति के लिए उपबंध करता है, जो प्राधिकरण के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेगा। यह उसके कृत्यों के निर्वहन में अपेक्षित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, प्रकृति और प्रवर्गों का अवधारण करने के लिए भी उपबंध करता है। यह केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से विनियमों द्वारा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अन्य अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों का अवधारण करने के लिए भी उपबंध करता है।

खंड 21– यह खंड मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कृत्यों को अधिकथित करता है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो प्राधिकरण का विधिक प्रतिनिधि होगा अन्य बातों के साथ-साथ प्राधिकरण के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन और उसके द्वारा अंगीकृत कार्यक्रम के क्रियान्वयन और प्राधिकरण द्वारा लिए गए विनिश्चयों का क्रियान्वयन होंगे; कार्यचालन कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करना; प्राधिकरण के राजस्व और व्यय का विवरण तैयार करना और बजट का निष्पादन करने; पूर्ववर्ती वर्ष में प्राधिकरण के सभी क्रियाकलापों को सम्मिलित करते हुए साधारण रिपोर्ट प्रस्तुत करना; पूर्ववर्ती वर्ष का वार्षिक लेखा और आने वाले वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करना;

खंड यह और अधिकथित करता है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी का प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा।

खंड 22— यह खंड प्राधिकरण की आस्तियों, दायित्वों के अंतरण के लिए उपबंध करता है। यह योजना आयोग, भारत सरकार की अधिसूचना सं॰ ए-43011/02/2009-प्रशासन 1, तारीख 28 जनवरी, 2009 द्वारा स्थापित भारतीय अद्वितीय पहचान प्राधिकरण की सभी आस्तियां और दायित्व प्राधिकरण को अंतरित और उसमें निहित होने के संबंध में उपबंध करता है, जो प्रस्तावित विधान के अधीन स्थापित प्राधिकरण में अंतरित और निहित हो जाएंगे।

यह और उपबंध करता है कि उक्त भारतीय अद्वितीय पहचान प्राधिकरण के संबंध में या उसके लिए उस दिन से ठीक पूर्व नामांकन के दौरान एकत्रित किए गए सभी आंकड़े और सूचना, किए गए अधिप्रमाणन के सभी ब्यौरे, उपगत ऋण, बाध्यताएं और दायित्व, की गई सभी संविदाएं और सभी विषय तथा ऐसे भारतीय अद्वितीय पहचान प्राधिकरण द्वारा, उसके साथ या उसके लिए की गई सभी बातें प्राधिकरण द्वारा, उसके साथ या उसके लिए उपगत, की गई या लगाई गई समझी जाएगी और प्राधिकरण को शोध्य सभी धनराशियां तथा भारतीय अद्वितीय पहचान प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित या जो संस्थित की जा सकती हैं, सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां, प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रह सकेंगी या संस्थित की जा सकेंगी।

खंड 23— यह खंड प्राधिकरण की शक्तियों और कृत्यों को अधिकथित करता है। खंड यह उपबंध करता है कि प्राधिकरण, निवासियों को आधार संख्यांक जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली विकसित करेगा और इस प्रस्तावित विधान के अधीन उनका अधिप्रमाणन करेगा। यह प्राधिकरण की और शक्तियों और कृत्यों को विनिर्दिष्ट करता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सम्मिलित किए जा सकेंगे। आधार संख्यांक के नामांकन के लिए जन सांख्यिकी सूचना और बायोमीट्रिक सूचना के संग्रहण और उसके सत्यापन के लिए विनियम द्वारा प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करना; ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आधार संख्यांक चाहने वाले किसी व्यक्ति से जन सांख्यिकी सूचना और बायोमीट्रिक सूचना एकत्रित करना; केन्द्रीय पहचान आंकड़ा संग्रह के क्रियान्वयन के लिए एक या अस्तित्वों को नियुक्त करना; आधार संख्यांक जनित करना और व्यक्तियों को सौंपना; आधार संख्यांकों का अधिप्रमाणन करना; केंद्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार में व्यक्तियों की सूचना ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, बनाए रखना और अद्यतन करना; किसी आधार संख्यांक और उससे संबंधित जानकारी का ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, लोप करना और निष्क्रिय करना;

विभिन्न फायदों और सेवाओं के परिदान के लिए आधार संख्यांक का उपयोग और उपयोज्यता विनिर्दिष्ट करना, जो विनियमों द्वारा उपबंधित की जाए; रजिस्ट्रारों, नामांकन करने वाले अभिकरणों और सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति और उनकी नियुक्तियों के प्रतिसंहरण के लिए विनियम द्वारा निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट करना; केंद्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार की स्थापना करना, प्रचालन करना और बनाए रखना; आधार संख्यांक धारकों की सूचना उनकी लिखित सहमति से सार्वजनिक फायदे और सार्वजनिक सेवाओं के परिदान में लगे ऐसे अभिकरणों के साथ, जो प्राधिकरण आदेश द्वारा निदेश दे, ऐसी रीति में सांझा करना, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए; इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जानकारी और अभिलेख मंगाना, निरीक्षण और जांच करना तथा इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार, रजिस्ट्रार, नामांकन करने वाले अभिकरणों और नियुक्त अन्य अभिकरणों के परिचालनों की संपरीक्षा करना; इस अधिनियम के अधीन विनियम द्वारा आंकड़ा प्रबंधन, सुरक्षा प्रोटोकाल और अन्य तकनीकी रक्षोपायों से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को विनिर्दिष्ट करना; विद्यमान आधार संख्यांक धारक को नए आधार संख्यांक जारी करने के लिए विनियम द्वारा शर्तें और प्रक्रियाएं विनिर्दिष्ट करना; इस प्रस्तावित विधान के अधीन ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, फीस का उद्ग्रहण और संग्रहण करना या रजिस्ट्रार, नामांकन करने वाले अभिकरणों या अन्य सेवा प्रदाताओं को उनके द्वारा उपलब्ध सेवाओं के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करना;

खंड प्राधिकरण को इस बात के लिए भी सशक्त करता है कि वह जानकारी एकत्र करने, भंडारण करने, सुरक्षित रखने या प्रक्रियागत करने या अधिप्रमाणन करने के संबंध में किन्हीं कृत्यों को करने के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या अन्य अभिकरणों से, यथास्थिति, समझौता ज्ञापन या करार कर सकेगा; और जानकारी एकत्रित करने, भंडारण करने, सुरक्षित रखने, प्रक्रियागत करने या अधिप्रमाणन करने या उसके संबंध में कोई अन्य कृत्य करने के लिए अधिसूचना द्वारा, उतनी संख्या में रजिस्ट्रारों की नियुक्ति कर सकेगा, ऐसे अभिकरणों को लगा सकेगा या प्राधिकृत कर सकेगा, जो इस प्रस्तावित विधान के प्रयोजनों के लिए

आवश्यक हो या प्राधिकरण, इस प्रस्तावित विधान के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए यथा अपेक्षित परामर्शदाताओं, सलाहकारों और अन्य व्यक्तियों को, ऐसे भत्तों और पारिश्रमिक तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, लगा सकेगा।

खंड 24—यह खंड केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदानों के लिए उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि इस निमित्त संसद् द्वारा विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, प्राधिकरण को ऐसी धनराशि अनुदत्त कर सकेगी, जो केंद्रीय सरकार, इस प्रस्तावित विधान के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे।

खंड 25—यह खंड अन्य फीस और राजस्व के लिए उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि प्राधिकरण द्वारा संग्रहीत फीस या राजस्व भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा और इस प्रकार जमा की गई संपूर्ण रकम प्राधिकरण को अंतरित हो जाएगी।

खंड 26—यह खंड लेखा और लेखापरीक्षा के लिए उपबंध करता है कि प्राधिकरण उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा उस प्ररूप में जो भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा। यह और उपबंध करता है कि प्राधिकरण के लेखाओं की वार्षिक लेखापरीक्षा भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसे लेखापरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय प्राधिकरण द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदाय किया जाएगा। यह मत भी उपबंध करता है कि नियंत्रक महालेखापरीक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राधिकरण के यथाप्रमाणित लेखाओं को उन पर उसकी लेखा रिपोर्ट सहित प्राधिकरण द्वारा वार्षिक रूप से केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

खंड 27—यह खंड विवरणी और वार्षिक रिपोर्ट आदि के लिए यह उपबंध करता है कि प्राधिकरण ऐसे समय और ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए या जैसा केन्द्रीय सरकार निदेश दे, केन्द्रीय सरकार को, प्राधिकरण की अधिकारिता के अधीन किसी विषय की बाबत ऐसी विवरणियों और विवरण तथा विशिष्टियों को जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर अपेक्षा करे, पेश करेगा।

यह और उपबंध करता है कि प्राधिकरण, प्रत्येक वर्ष एक बार ऐसे प्ररूप और रीति, ऐसे समय पर जो में, विहित किया जाए एक वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित का उल्लेख करते हुए तैयार करेगा। पूर्ववर्षों के प्राधिकरण के सभी क्रियाकलापों का वर्णन; पूर्ववर्ष के लिए वार्षिक लेखा; और आगामी वर्ष के कार्यक्रम उपधारा (2) के अधीन प्राप्त हुई रिपोर्ट की एक प्रति उसके प्राप्त होने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी।

खंड 28—यह खंड पुनर्विलोकन समिति के लिए उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए और आधार संख्यांक के उपयोग से संबंधित किसी विषय की बाबत कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, अधिसूचना द्वारा पहचान पुनर्विलोकन समिति का गठन कर सकेगी। पुनर्विलोकन समिति, ऐसे तीन सदस्यों (उनमें से एक केन्द्रीय सरकार द्वारा पदाभिहित अध्यक्ष होगा) से मिलकर बनेगी, जो व्यक्ति प्रख्यात, योग्य, निष्ठावान तथा जनसाधारण में जिनकी प्रतिष्ठा हो तथा जिनके पास तकनीकी, विधि, प्रशासन और शासन, सामाजिक सेवा, पत्रकारिता, प्रबंधन या सामाजिक विज्ञान का ज्ञान और अनुभव हो।

यह और उपबंध करता है कि पुनर्विलोकन समिति के सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—प्रधानमंत्री समिति के अध्यक्ष होंगे; लोक सभा में विरोधी दल के नेता; और प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्देशित संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री,

यह भी उपबंध करता है कि पुनर्विलोकन समिति का सदस्य, यथास्थिति, संसद् का कोई सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल का कोई सदस्य या किसी राजनैतिक दल का सदस्य नहीं होगा; पुनर्विलोकन समिति के सदस्य पद धारण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और वह पुनःनियुक्त किए जाने के पात्र नहीं होंगे तथा उपखंड 6 के अधीन विनिर्दिष्ट आधारों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा हटाए जा सकेंगे।

खंड 29—यह खंड पुनर्विलोकन समिति के कृत्यों के लिए उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि पूरे देश में आधार संख्यांक के प्रयोग की सीमा और पद्धति अभिनिश्चित करेगी और अपनी सिफारिशों के साथ

आधार संख्यांक के उपयोग की सीमा और पद्धति के संबंध में एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी।

यह खंड पुनर्विलोकन समिति को और सशक्त करता है कि वह रिपोर्ट के तैयार करने की रीति का अवधारण करे। यह भी उपबंध करता है कि पुनर्विलोकन समिति की सिफरिशों के साथ रिपोर्ट की एक प्रति को उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र केन्द्रीय सरकार द्वारा संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाई जाएगी।

खंड 30—यह खंड सूचना का संरक्षण और गोपनीयता के लिए उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि प्राधिकरण व्यष्टियों की पहचान सूचना अभिलेखों के और अधिप्रमाणन की सुरक्षा और गोपनीयता को सुनिश्चित करेगा। प्राधिकरण ऐसे उपाय (जिसके अंतर्गत सुरक्षा रक्षोपाय भी हैं) करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास या उसके नियंत्रण में जो सूचना (जिसके अंतर्गत केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार में एकत्रित सूचना भी है) है यह सुरक्षित है तथा अप्राधिकृत पहुंच या अप्राधिकृत प्रकटन से होने वाली किसी हानि से उसे संरक्षित किया गया है।

यह और उपबंध करता है तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी और इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्राधिकरण या उसका कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी या कोई अभिकरण, जो कि केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार को बनाए रखता है, वह अपनी सेवा के दौरान या उसके पश्चात् केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार में एकत्रित कोई सूचना किसी व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगा। किंतु आधार संख्यांक धारक प्राधिकरण से अपनी पहचान सूचना के प्रति पहुंच के लिए अनुरोध ऐसी रीति में जो विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाए कर सकेगा।

खंड 31—यह खंड जन सांख्यिकी सूचना या बायोमेट्रिक सूचना का फेरबदल करने से संबंधित उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि यदि किसी आधार संख्यांक धारक के संबंध में कोई जनसांख्यिकी सूचना गलत पाई जाती है या तत्पश्चात् उसमें परिवर्तन किया जाता है और यदि आधार संख्यांक धारक की बायोमेट्रिक सूचना गुम हो गई या तत्पश्चात् किसी भी कारण से उसमें परिवर्तन हो गया है तब आधार संख्यांक धारक प्राधिकरण को विनियमों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट रीति में केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार के अपने अभिलेख में आवश्यक परिवर्तन करने का अनुरोध करेगा।

यह और उपबंध करता है कि उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई अनुरोध प्राप्त होने पर प्राधिकरण का यदि समाधान हो जाता है तो ऐसे परिवर्तन कर सकेगा जो ऐसे आधार संख्यांक के धारक से संबंधित अभिलेख में अपेक्षित हों और ऐसे परिवर्तन को संबद्ध आधार धारक को सूचित कर सकेगा।

खंड 32—यह खंड सूचना रखना और अधिप्रमाणन के लिए अनुरोध अभिलेख के प्रति पहुंच के लिए उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि प्राधिकरण प्रत्येक आधार संख्यांक धारक की पहचान के अधिप्रमाणन के लिए प्रत्येक अनुरोध और उसके द्वारा उस पर दिए गए उत्तर के ब्यौरे ऐसी रीति और ऐसे समय के लिए रखेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

यह और उपबंध करता है कि प्रत्येक आधार संख्यांक धारक अपने आधार संख्यांक के अधिप्रमाणन के लिए अनुरोध और प्राधिकरण द्वारा उस पर दिए गए उत्तर के ब्यौरे ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अभिप्राप्त करने का हकदार होगा।

खंड 33—यह खंड कतिपय मामलों में सूचना के प्रकटन के लिए उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि खंड 30 के उपखंड (3) के उपबंध जो सूचना उपलब्ध कराए जाने पर निर्बंधन अधिरोपित करते हैं, सक्षम न्यायालय के किसी आदेश के अनुसरण में किया गया सूचना का प्रकटन (जिसके अंतर्गत अधिप्रमाणन की पहचान सूचना या ब्यौरे भी हैं); या केन्द्रीय सरकार के, किसी आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत केन्द्रीय सरकार में संयुक्त सचिव से अन्यून या समतुल्य पंक्ति के किसी अधिकारी या अधिकारियों द्वारा जारी उस आशय के निदेश के अनुसरण में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किया गया सूचना का कोई प्रकटन जिसके अंतर्गत पहचान सूचना भी है, को लागू नहीं होंगे।

खंड 34—यह खंड नामांकन के समय प्रतिरूपण के लिए शास्ति के लिए उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि जो कोई किसी अन्य व्यक्ति को चाहे वह मृत हो या जीवित, वास्तविक हो या काल्पनिक, कोई मिथ्या जनसांख्यिकी सूचना या बायोमेट्रिक सूचना उपलब्ध करवाकर प्रतिरूपण करता है या प्रतिरूपण करने का प्रयास

करता है, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

खंड 35—यह खंड जनसांख्यिकी सूचना या बायोमेट्रिक सूचना को परिवर्तित करके आधार संख्यांक धारक के प्रतिरूपण के लिए शास्ति का उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि जो कोई क्षति कारित करने या रिष्टि के आशय से किसी आधार संख्यांक धारक को या आधार संख्यांक धारक की पहचान को विनियोजित करने के आशय से किसी आधार संख्यांक धारक की जनसांख्यिकी सूचना या बायोमेट्रिक सूचना में किसी अन्य व्यक्ति को चाहे वह मृत हो या जीवित, वास्तविक हो या काल्पनिक प्रतिरूपण करके या प्रतिरूपण का प्रयास करके परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

खंड 36—यह खंड प्रतिरूपण के लिए शास्ति का उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि जो कोई इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पहचान सूचना संगृहीत करने के लिए प्राधिकृत न होते हुए शब्दों, आचरण या भावभंगिमा द्वारा यह बहाना करता है कि वह ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कंपनी की दशा में, ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

खंड 37—यह खंड पहचान सूचना के प्रकटन के लिए शास्ति का उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि जो कोई नामांकन या अधिप्रमाणन के अनुक्रम में संगृहीत किसी पहचान सूचना का प्रस्तावित विधान के अधीन अप्राधिकृत किसी व्यक्ति को साशय प्रकटन करता है, पारेषण करता है या नकल करता है या अन्यथा प्रसारित करता है, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

खंड 38—यह खंड केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार तक अप्राधिकृत पहुंच के लिए शास्ति का उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि जो कोई प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत न होने पर साशय—(क) केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार तक पहुंच रखता है या पहुंच सुनिश्चित करता है; या (ख) केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार से या किसी स्थानांतरणीय भंडार माध्यम से कोई आंकड़ा डाउनलोड करता है, प्रतिलिपि करता है या उद्धरण लेता है; या (ग) कोई वायरस या अन्य कंप्यूटर संदूषक प्रवेश करता है या प्रवेश करवाता है; या (घ) केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार में आंकड़ों को नुकसान पहुंचाता है या नुकसान पहुंचवाता है; या (ङ) केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार पहुंच से विछिन्न करता है या विछिन्न करवाता है; या (च) केन्द्रीय पहचान आंकड़ा निक्षेपागार में पहुंच के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति की पहुंच से इंकार करता है या इंकार करवाता है; या (छ) ऊपर उल्लिखित कृत्यों में से किसी को करने के लिए किसी व्यक्ति को कोई सहायता प्रदान करता है; या (ज) किसी विकलनीय भंडारण मीडिया या केन्द्रीय पहचान आंकड़ा निक्षेपागार में भंडारित किसी सूचना को नष्ट करता है, हटाता है या परिवर्तित करता है अथवा उसके मूल्य या उपयोगिता या प्रभाव को किसी क्षतिपूर्ण साधन द्वारा कम करता है; या (झ) नुकसान कारित करने के आशय से प्राधिकरण द्वारा प्रयुक्त किसी कंप्यूटर स्रोत कोड को चुराता है, छिपाता है, नष्ट करता है या परिवर्तित करता है, अथवा किसी व्यक्ति से चोरी करवाता है या छिपवाता है या नष्ट करवाता है या परिवर्तित करवाता है, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से जो एक करोड़ रुपए से अन्यून नहीं हो, दंडनीय होगा।

यह ''कम्प्यूटर संदूषण'', ''कम्प्यूटर वायरस'' और ''नुकसानी'' पदों को और परिभाषित करता है कि उनके क्रमश: वही अर्थ होंगे जो सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43 के स्पष्टीकरण में हैं।

खंड 39—यह खंड केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार में आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए शास्ति का उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि जो कोई प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत न होते हुए केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार में आंकड़ा या किसी हटाने योग्य भंडार माध्यम में आंकड़े का उपयोग करता है या आधार संख्यांक धारक से संबंधित सूचना को उपातंरित करने के आशय से छेड़छाड़ करता है या उसकी किसी सूचना में खोज करता है ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।

खंड 40—यह खंड बायोमेट्रिक सूचना के छलसाधन के लिए शास्ति उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि जो कोई आधार संख्यांक या अधिप्रमाणन या अपनी सूचना के अद्यतन के प्रयोजन के लिए ऐसी कोई बायोमेट्रिक सूचना जो उससे संबंधित नहीं है, देता है या देने का प्रयास करता है, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

खंड 41—यह खंड साधारण शस्ति के लिए उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि जो कोई प्रस्तावित विधान के अधीन कोई ऐसा अपराध करता है जिसके लिए इस धारा से भिन्न अन्यत्र कोई शास्ति उपबंधित नहीं है, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

खंड 42—यह खंड कंपनियों द्वारा अपराध से संबंधित है। यह उपबंध करता है कि जहां प्रस्तावित विधान के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो अभिकथित अपराध किए जाने के समय भारसाधक था और कंपनी के कारबार और कंपनी के आचरण तथा कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, उस अपराध के लिए दोषी समझा जाएगा और अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए दायी होगा तथा तदनुसार दंडित किया जाएगा:

यह और उपबंध करता है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति यह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के होने को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परताएं बरती थीं तब वह उक्त दंड के लिए दायी नहीं होगा।

खंड यह भी उपबंध करता है कि जहां कोई अपराध प्रस्तावित विधान के अधीन किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या अनुमति से किया गया है या उनमें से किसी की ओर से कोई लापरवाही बरती गई है तो ऐसे निदेशक प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध के लिए भी दोषी समझे जाएंगे और अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए दायी होंगे तथा तदनुसार दंडित किए जाएंगे।

खंड 43—यह खंड भारत से बाहर कारित किए गए अपराध या उल्लंघन के लिए प्रस्तावित विधान के लागू होने के लिए उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के उपबंध किसी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर कारित किए गए किसी अपराध या उल्लंघन को भी, उनकी राष्ट्रीयता को विचार में लाए बिना लागू होंगे, यदि ऐसा कृत्य या आचरण केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार से संबंधित अपराध या उल्लंघन को गठित करता है।

खंड 44—यह खंड अपराधों का अन्वेषण करने की शक्ति के लिए उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रस्तावित विधान के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो।

खंड 45—यह खंड शास्तियों द्वारा अन्य दंडादेश में हस्तक्षेप नहीं करने से संबंधित है। यह उपबंध करता है कि इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कोई शास्ति, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अन्य शास्ति या दंडादेश को अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी।

खंड 46—यह खंड अपराधों के संज्ञान का उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि प्राधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के सिवाय, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

यह और उपबंध करता है कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से निचले न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा।

खंड 47—यह खंड केन्द्रीय सरकार को प्राधिकरण अतिष्ठित करने के लिए सशक्त करता है। यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार इस खंड में वर्णित आधारों का समाधान करने के पश्चात् छह मास से अनधिक की अवधि के लिए जो अधिसूचना जारी करके, प्राधिकरण को अधिक्रांत कर सकेगी और प्रस्तावित विधान के अधीन शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी जो राष्ट्रपति निदेश दें।

खंड यह और उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, ऐसी कोई अधिसूचना जारी करने से पूर्व प्राधिकरण के प्रस्थापित अधिक्रमण के विरुद्ध प्राधिकरण को अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देगी और प्राधिकरण के अभ्यावेदन, यदि कोई हों, पर विचार करेगी।

खंड यह उपबंध करता है कि प्राधिकरण को अधिक्रांत करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर —(क) अध्यक्ष और अन्य सदस्य, अधिक्रमण की तारीख से ही अपना पद, उसी रूप में रिक्त कर देंगे; (ख) उन सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का, जिनका इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन, प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग किया जा सकेगा या निर्वहन किया जा सकेगा, जब तक उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन नहीं हो जाता है तब तक उनका उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा; और (ग) प्राधिकरण के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन सभी संपत्तियां, तब तक जब तक उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता है, केन्द्रीय सरकार में निहित होंगी।

खंड यह और भी उपबंध करता है कि अधिक्रमण की अवधि की समाप्ति पर उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नई नियुक्ति द्वारा प्राधिकरण का पुनर्गठन करेगी और ऐसी दशा में वह व्यक्ति, जिसने अपना पद रिक्त किया है, पुनर्नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जाएगा।

खंड यह भी उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार अधिसूचना की और इस खंड के अधीन की गई कार्रवाई की तथा उन परिस्थितियों की, जिनके कारण ऐसी कार्रवाई की गई है पूरी रिपोर्ट की एक प्रति शीघ्रातिशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

खंड 48—यह खंड सदस्यों, अधिकारियों आदि के लोक सेवक होने के बारे में उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को, प्रस्तावित विधान के किसी उपबंध के अनुसरण में कार्य करने के दौरान या कार्य करने के लिए तात्पर्यित होने के दौरान, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

खंड 49—यह खंड केन्द्रीय सरकार को निदेश जारी करने के लिए सशक्त करता है। यह उपबंध करता है कि प्राधिकरण, प्रस्तावित विधान के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में या अपने कृत्यों का पालन करने में, उन प्रश्नों से भिन्न, जो तकनीकी और प्रशासनिक विषयों के संबंध में हैं, नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर लिखित में दे सकेगी।

खंड यह और उपबंध करता है कि प्राधिकरण को यथासाध्य इस खंड के अधीन कोई निदेश दिए जाने के पूर्व अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाए।

खंड यह भी उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार का यह विनिश्चय, कि वह नीति का प्रश्न है या नहीं, अंतिम होगा।

खंड 50—यह खंड प्रत्यायोजन के लिए उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि प्राधिकरण, लिखित में, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को (धारा 53 के अधीन शक्ति के सिवाय) प्रत्यायोजित कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे।

खंड 51—यह खंड सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान या उसके अधीन बनाए गए नियम या विनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण या प्राधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्य अथवा किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

खंड 52—यह खंड केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

यह ऐसे विषयों को और विनिर्दिष्ट करता है जिनकी बाबत ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे।

खंड 53—यह खंड प्राधिकरण को विनियम बनाने के लिए सशक्त करता है। यह उपबंध करता है कि प्राधिकरण, प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित विधान और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम बना सकेगा।

खंड यह ऐसे विषयों को और विनिर्दिष्ट करता है जिनकी बाबत ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे।

खंड 54–यह खंड नियमों और विनियमों को संसद के समक्ष रखे जाने के लिए उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

खंड 55–यह खंड उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

खंड 56–यह खंड कठिनाइयों को दूर करने का उपबंध करता है। खंड यह उपबंध करता है कि यदि प्रस्तावित विधान के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

खंड यह और उपबंध करता है कि कठिनाइयों को दूर करने के लिए ऐसा कोई आदेश प्रस्तावित विधान के आरंभ से दो वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा।

खंड यह और उपबंध करता है इस खंड के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

खंड 57–यह खंड व्यावृत्तियों के लिए उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि भारत सरकार के योजना आयोग की अधिसूचना संख्यांक ए-43011/02/2009-प्रशासन.1, तारीख 28 जनवरी, 2009 के संकल्प के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कोई बात या कोई कार्रवाई प्रस्तावित विधान के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

वित्तीय ज्ञापन

खंड 11 भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण की स्थापना के लिए उपबंध करता है जो निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और जिसे संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मुख्यालय में वाद लाने या उस पर वाद लाया जाएगा और उस पर वाद चलाया जाएगा तथा भारत में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा। खंड 12 उपबंध करता है कि प्राधिकरण अध्यक्ष और दो अंशकालिक सदस्यों से मिलकर बनेगा। खंड 14 का उपखंड (5) अध्यक्ष को संदेय वेतन और भत्ते या अंशकालिक सदस्यों को संदेय पारिश्रमिक के लिए उपबंध करता है। खंड 20 का उपखंड (3) प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्तों के लिए उपबंध करता है।

2. खंड 23 के उपखंड (2) की मद (ञ) केंद्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार की स्थापना, प्रचालन और बनाए रखने के लिए उपबंध करती है।

3. खंड 24 उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार इस निमित्त संसद् द्वारा, विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् प्राधिकरण को ऐसी धनराशि अनुदत्त कर सकेगी, जो केंद्रीय सरकार प्रस्तावित विधान के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे।

4. विधेयक का खंड 25 उपबंध करता है कि प्राधिकरण द्वारा संगृहीत फीस या राजस्व भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा और इस प्रकार जमा की गई संपूर्ण रकम प्राधिकरण को अंतरित हो जाएगी।

5. यह प्राक्कलित किया जाता है कि स्कीम के चरण –2 में कोई व्यय लगभग 3023.01 करोड़ रुपए होगा। इसमें से 477.11 करोड़ रुपए की रकम आवर्ती स्थापना व्यय के मद्दे होगी और 2545.90 करोड़ रुपए अनावर्ती परियोजना से संबंधित व्यय के मद्दे होगी। स्कीम के प्रथम चरण के लिए प्राक्कलित लागत 147.31 करोड़ रुपए थी जो मुख्यालय और प्रादेशिक मुख्यालयों पर कार्यालय के लिए आवश्यक अवसंरचना स्थापित करने, विभिन्न प्रचालन क्षेत्रों में मुख्य और सबूत संकल्पना अध्ययन चलाने के लिए परीक्षण सुविधाएं स्थगित करने, मानकों के सजृन के आरंभिक कार्य के लिए तथा परियोजना प्रबंध यूनिट की स्थापना करने और परामर्शदाताओं का भाड़े पर लेने की मद्दे थीं।

6. विधेयक में कोई आवर्ती या अनावर्ती व्यय परिकल्पित नहीं है।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के खंड 52 का उपखंड (1) केन्द्रीय सरकार को प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। उपखंड (2) ऐसे विषयों को विनिर्दिष्ट करता है जिसकी बाबत ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे। इन विषयों में अन्य बातों के साथ: (क) वह प्ररूप और रीति, जिसमें और वह प्राधिकारी, जिसके समक्ष, खंड 14 की उपखंड (2) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ ली जानी है; (ख) खंड 14 की उपखंड (5) के अधीन प्राधिकरण के अध्यक्ष को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें तथा सदस्यों को संदेय भत्ते या पारिश्रमिक; (ग) खंड 17 के अधीन प्राधिकरण के अध्यक्ष की अन्य शक्तियां और कृत्य; (घ) खंड 23 की उपखंड (2) के खंड (न) के अधीन प्राधिकरण की अन्य शक्तियां और कृत्य; (ङ) खंड 26 की उपखंड (1) के अधीन प्राधिकरण द्वारा तैयार किए जाने वाले लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्ररूप ; (च) वह प्ररूप और रीति जिसमें और वह समय जिसके भीतर खंड 27 की उपखंड (1) के अधीन विवरणियां और विवरण तथा ब्यौरे दिए जाएंगे; (छ) वह प्ररूप और रीति तथा समय, वह प्राधिकरण खंड 27 की उपखंड (2) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट देगा। (ज) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए अथवा जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है या उपबंध किया जाए।

2. विधेयक के खंड 53 का उपखंड (1) भारत का राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण को प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा विनियम बनाने के लिए सशक्त करता है। जो प्रस्तावित विधान के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियम से संगत होंगे। उपखंड (2) ऐसे विषयों को विनिर्दिष्ट करता है जिनकी बाबत ऐसे विनियम बनाए जा सकेंगे। इन विषयों में अन्य बातों के साथ: (i) उपखंड (ङ) के अधीन बायोमेट्रिक सूचना; उपखंड (ज) के अधीन जनसांख्यकीय सूचना; खंड (2) के उपखंड (ञ) के अधीन अभिकरणों को नामांकन द्वारा व्यष्टियों से जनसांख्यकीय सूचना और बायोमेट्रिक सूचना संगृहीत करने की प्रक्रिया; (ii) खंड 3 के उपखंड (1)के अधीन निवासी द्वारा जनसांख्यिकी सूचना और बायोमीट्रिक सूचना प्रस्तुत करने की रीति और खंड 3 के उपखंड (2) के अधीन आधार संख्यांक जारी करने के लिए सत्यापन करने की रीति; (iii) खंड 5 के उपखंड (1) के अधीन आधार संख्या के अधिप्रमाणन के लिए प्रक्रिया; (iv) खंड 7 के अधीन केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार द्वारा निबंधित किए जाने वाले अन्य कृत्य; (v) खंड 8 के अधीन बायोमेट्रिक सूचना और जनसांख्यकीय सूचना को अद्यतन करने की रीति; (iv) खंड 10 के अधीन व्यष्टियों के अन्य प्रवर्ग जिनके लिए प्राधिकरण आधार संख्या के आबंटन के लिए विशेष उपाय करेगा; (vii) खंड 18 के उपखंड (1) के अधीन प्राधिकरण के अधिवेशन का समय और स्थान और उसके द्वारा अनुसरित की जाने वाली कारगार संव्यवहार के लिए प्रक्रिया (गणपूर्ति सहित); (viii) खंड 20 के उपखंड (3) प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें; (ix) खंड 30 के उपखंड (3) के अधीन आधार संख्या धारकों द्वारा पहचान सूचना का निर्धारण करने की रीति; (xi) खंड 31 के उपखंड (1) के अधीन जनसांख्यकीय सूचना के परिवर्तन की रीति और उपखंड (2) के अधीन बायोमीट्रिक सूचना; (xii) खंड 32 के उपखंड (1) के अधीन अधिप्रमाणन के लिए अनुरोध को बनाए रखने के लिए रीति और समय और उपखंड (2) के अधीन आधार संख्यांक धारक द्वारा अधिप्रमाणन के लिए अनुरोध और उस पर दिए गए उत्तर के अभिलेख अभिप्राप्त करने की रीति; (xiii) कोई अन्य विषय जो विनिर्दिष्ट किया जाना है या विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा या जिसकी बाबत विनियमों द्वारा उपबंध किए जाने हैं या किए जा सकेंगे।

3. खंड 54 यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम इनके बनाए जाने के यथाशीघ्र पश्चात् संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे।

4. वे विषय जिनकी बाबत नियम और विनियम बनाए जा सकेंगे। प्रक्रिया या प्रशासनिक ब्यौरे संबंधी विषय हैं और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध साध्य नहीं है।

अत: विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

GMGIPMRND—5149RS—11-11-2010.